

9/3/24

धारा. आप लोक अदालत मुम्बई
में पेश हुई याचिका वकील उप-1 याचिका
का डाका नोट-बेस में खारिज किया
जा चुका है। अब इस याचिका-पत्र 212 RTA
का कोई कोई नहीं रहे जा रहा है।
कारण: याचिका का याचिका-पत्र 212 RTA नहीं
रहने पर खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली सुमन कुमार होकर
दाखिल कर रहे हैं


अव्वल

नैशनल लोक अदालत
मुम्बई


सदस्य

नैशनल लोक अदालत
मुम्बई

